'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को जनआंदोलन बनाएं, पर्यावरण संरक्षण में निभाएं सक्रिय भूमिकाः सुभाष बराला

राज्यसभा सांसद ने पौधारोपण कार्यक्रम में सहभागिता कर नागरिकों से पेड़ लगाने का किया आह्वान

पौधारोपित कर जल अर्पित करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला।

सवेरा न्यूज़/शंकर वधवा

टोहाना, 1 अगस्तः राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए वृक्षारोपण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प ले तथा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला शनिवार को अपने पैतृक गांव डांगरा स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधारोपण किया तथा गांव में चलाए जा रहे हरित अभियान की सराहना की। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। यह अभियान केवल वृक्ष लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मातृत्व, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं तथा हाल ही में प्रदेशभर में 77वां वन महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया है। सुभाष बराला ने कहा कि बदलते पर्यावरणीय हालात और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं वर्षा की कमी देखने को मिल रही है। वायु प्रदूषण और घटते हरित क्षेत्र भी चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय असंतुलन को दूर करने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। जब तक बड़े स्तर पर पौधे नहीं लगाए जाएंगे और उनका संरक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक स्वच्छ वातावरण और पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन होगा। उन्होंने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण जैसे जनहित के अभियानों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर गांव की सरपंच उर्मिला मूंड, कुलदीप मूंड, नगर परिषद चेयरमैन नरेश बंसल, नगर मंडल अध्यक्ष रमन मडिया, पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन सुरजीत सिंह, बलराज नंबरदार, कुलवंत जांगड़ा, बलवीर जांगड़ा, रोहताश मूंड, जयवीर मूंड, सुभाष मूंड, जयसिंह भडिया सहित गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

पर्यावरण सुधार समिति ने शुरू किया पौधारोपण अभियान

सवेरा न्यूज/जसपाल ओढां, 1 अगस्तः शहीद उधम सिंह जयंती पर गांव पन्नीवाला मोटा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सराहनीय पहल की गई। पर्यावरण सुधार समिति के सदस्यों ने गांव को हरा-भरा बनाने के संकल्प के साथ पैक्स कार्यालय के प्रांगण में पीपल का पौधा लगाकर नए पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यातिथि कागंव के सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप बेनीवाल ने भी अपने हाथों से पौधा लगाया। उन्होंने समिति के इस कार्य की जमकर सराहना की और उपस्थित अन्य ग्रामीणों को भी अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप बेनीवाल ने कहा कि महान शहीद उधम सिंह जी ने देश की माटी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज उनकी जयंती पर देश की इस माटी को हरा-भरा और समृद्ध बनाना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। बढ़ती गर्मी और पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए आज पौधे लगाना कोई शौक नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। पर्यावरण सुधार समिति पिछले कई सालों से जो निस्वार्थ सेवा कर रही है।

स्वच्छता की मिसाल बने एसडीएम राजेश खोथ, खुद कूड़ा उठाकर जगाई जनभागीदारी की अलख

एसडीएम राजेश खोथ ने खुद ग्रामीणों के साथ कूड़ा उठाते हुए

सवेरा न्यूज/नवीन कुमार

हांसी 1 अगस्तः स्वच्छता केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि जनभागीदारी और प्रेरणादायी नेतृत्व से साकार होती है। इसका सजीव उदाहरण शनिवार को उपमंडल के ढंढेरी गांव में देखने को मिला, जहां एसडीएम राजेश खोथ ने स्वयं सफाई अभियान में उतरकर अपने हाथों से कूड़ा-कचरा उठाया और ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया।

उनके इस प्रेरणादायी प्रयास ने पूरे गांव को स्वच्छता अभियान का सहभागी बना दिया। लंबे समय से स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय एसडीएम राजेश खोथ के नेतृत्व में उपमंडल क्षेत्र में लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य स्वच्छ, सुंदर और हरित समाज का निर्माण करना है। एसडीएम राजेश खोथ के नेतृत्व में संचालित 'म्हारी हरी-भरी हांसी' अभियान पहले ही क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की नई पहचान बन चुका है। इस अभियान के तहत पिछले वर्ष लगभग 5000 पौधे लगाए गए थे, जिनकी नियमित देखभाल भी सुनिश्चित की गई। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब गांव-गांव विशेष सफाई अभियान चलाकर स्वच्छ वातावरण तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष एस डी महिला महाविद्यालय महिला महाविद्यालय प्रांगण में अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया जा चुका है। शनिवार को ढंढेरी गांव में आयोजित विशेष सफाई अभियान में पांच ग्राम सचिव, गांव के सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि, सफाई कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। अभियान के दौरान गांव की गलियों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों, चौपालों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की व्यापक सफाई की गई। बड़ी मात्रा में कूड़ा-कचरा एकत्रित कर वाहनों के माध्यम से बाहर निर्धारित स्थान पर भिजवाया गया। अभियान के बाद गांव का वातावरण पूरी तरह स्वच्छ और खुशनुमा दिखाई दिया।अभियान का सबसे प्रेरणादायक दृश्य तब देखने को मिला जब एसडीएम राजेश खोथ स्वयं हाथों में सफाई उपकरण लेकर कूड़ा उठाने लगे। उन्होंने श्रमदान करते हुए कूड़ा वाहनों में भरवाया और उपस्थित लोगों को संदेश दिया कि स्वच्छता किसी एक विभाग का कार्य नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Mr. Krishan Dev Sharma S/o Late Sh. Ram Bahadur Sharma R/o M-1-647/12, Sangam Vihar, South Delhi, Delhi-110062, have severed all relations from his son Mr. Raju Sharma and his daughter-in-law Smt. Sonia Sharma and have debarred them from all his movable and immovable properties as they are not under control of my client. If anybody deals with the said persons i.e. Mr. Raju Sharma and Smt. Sonia Sharma, he/she will be doing so on its own risk and responsibility and my client and his family members shall not be responsible and liable for any acts, omissions, commissions of Mr. Raju Sharma and Smt. Sonia Sharma.

Hukum Deo Prasad (Advocate)

दोस्ताना क्रिकेट मैच में होली हार्ट स्कूल की शानदार जीत

सवेरा न्यूज़/शंकर वधवा

टोहाना, 1 अगस्तः होली हार्ट कॉन्वेंट स्कूल एवं एस.एस. हाई स्कूल, की क्रिकेट टीम के बीच दोस्ताना मैच का आयोजन लिटिल एंजल स्कूल के खेल मैदान किया गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल भावना का परिचय दिया, जिसमें होली हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की टीम ने 15 रनों से शानदार जीत दर्ज की। मैच का टॉस लिटल एंजल स्कूल की प्रिंसिपल ममता ठाकुर ने करवाया जबकि अंपायर की भूमिका कुश सर ने अदा की। मैच में सुखमन ने शानदार 40 रन तथा कप्तान शिवम ने बेहतरीन 37 रनों की पारी खेलकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजेता टीम का नेतृत्व कप्तान शिवम एवं उपकप्तान करिश ने किया। टीम के अन्य खिलाड़ियों में आदित्य, रियान, अनमोल, सोहम, हितांश, दीपांशु, राजीव, हर्षदीप, सिंदरपाल, करण तथा हरसाहिब शामिल रहे, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से टीम को विजय दिलाई। इस अवसर पर विद्यालय के एम.डी. बलदेव सैनी एवं प्रधानाचार्या पायल मेहता ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मैच के दौरान टीम के कोच कुश सर खिलाड़ियों के साथ उपस्थित रहे तथा उन्होंने पूरे मैच में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन किया।

रेवाड़ी में 'भोले तेरी बम' गीत का विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किया लोकार्पण

सवेरा न्यूज/ प्रियंका अग्रवाल रेवाड़ी, 01 अगस्तः सावन माह और कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ को समर्पित भक्ति गीत 'भोले तेरी बम' का शनिवार को रेवाड़ी में भव्य लोकार्पण किया गया। गीत का विमोचन रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने गीत से जुड़े सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे भक्ति गीत भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और धार्मिक आस्था को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। सावन के पवित्र माह में भगवान भोले शंकर का यह गीत रिलीज़ हुआ है निश्चित तौर पर यह खासा लोकप्रिय होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह गीत श्रद्धालुओं के बीच विशेष लोकप्रियता हासिल करेगा। इस भक्ति गीत को बीएसएनएल के अधिकारी संजय सैनी ने लिखा और अपनी मधुर आवाज़ में गाया है, जबकि इसका संगीत अशोक वर्मा ने तैयार किया है। गीत में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा, भक्ति और सावन माह की आध्यात्मिक भावना को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सावन के पवित्र महीने और कांवड़ यात्रा के दौरान रिलीज़ हुआ यह गीत शिवभक्तों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

पौधे लगाने के साथ-साथ करें नियमित देखभाल : नारंग

सवेरा न्यूज/दिनेश कौशिक सिरसा, 1 अगस्तः पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से लायंस क्लब सिरसा एक्टिव की ओर से एफ ब्लॉक स्थित प्राइमरी स्कूल में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी ने पौधरोपण के साथ-साथ लगाए गए पौधों की पेड़ बनने तक देखभाल करने का भी संकल्प लिया। चार्टर प्रेजीडेंट चरित्र नारंग ने कहा कि पौधरोपण अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी जरूरी है। क्लब का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरा-भरा वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लगाए गए सभी पौधों को वृक्ष बनाने के लिए क्लब संकल्पित है। प्रोजेक्ट चेयरमैन राम गर्ग ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरणीय हालात के बीच अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया। भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा न हों, इसके लिए अभी से सामुहिक प्रयास करने होंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13 (2)

शाखा कार्यालयः बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, उ0प्र0

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार/गारंटर को मांग सूचना।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गांरटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

ऋणकर्ता एवं गारंटर का नाम एवं पता	प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
कर्जदारः श्री यशपाल सिंह पताः मकान संख्या A-169, भूतल, वी.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034। श्रीमती नैना बख्शी पताः मकान संख्या A-169, भूतल, वी.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034। गारंटरः श्रीमती राधा अग्रवाल पत्नी श्री दीपक अग्रवाल मकान संख्या F-2/962, गौर होम्स, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201013।	अचल परिसंपत्ति - एः आवासीय भूखंड संख्या D-124, भूतल, स्वर्णजयंती पुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर, पर सृजित समतुल्य बंधक। विक्रय विलेख संख्या 6158 दिनांक 15.06.2023 है, जो उप-पंजीयक, गाजियाबाद के कार्यालय में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 17809, पृष्ठ संख्या 45 से 68 तक विधिवत पंजीकृत है। स्वामी श्री यशपाल सिंह है। सीमाएं : दक्षिण : संपति संख्या 123 पूर्व : 12 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम : संपति संख्या 117 उत्तर : संपति संख्या 125 अचल परिसंपत्ति - बीः आवासीय फ्लैट संख्या 3rd A-130, प्रथम तल, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पर सृजित समतुल्य बंधक। हस्तांतरण विलेख संख्या 9597 दिनांक 11.09.2023 है, जो उप-पंजीयक कार्यालय, सदर चतुर्थ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में विधिवत पंजीकृत है। हस्तांतरण विलेख संख्या 9597, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 42507, पृष्ठ 189 से 218, दिनांक 11.09.2023 के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल 165.50 वर्ग मीटर है तथा यह श्रीमती राधा अग्रवाल के नाम पर दर्ज है। सीमाएं : दक्षिण : संपति संख्या 139 पूर्व : प्लॉट संख्या 134 एवं 135 पश्चिम : प्लॉट संख्या A-130 का भाग उत्तर : 80 फुट सड़क	धारा 13(2) नोटिस की तिथिः 16.07.2026 एन.पी.ए. की तिथिः 29.06.2024 बकाया राशिः 67,56,074.02(रुपये सड़सठ लाख छप्पन हजार चौहत्तर और दो पैसे मात्र)उक्त राशि पर अनुसूची-A में उल्लिखित लागू ब्याज दर/दरों के अनुसार दिनांक 16.07.2026 (नोटिस की तिथि) से पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की तिथि तक भविष्य का ब्याज देय होगा। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की शर्तों तथा/अथवा लागू विधि के अनुसार वसूल किए जाने योग्य आनुषंगिक व्यय, प्रभार एवं लागत भी देय होंगे।आपको इस नोटिस की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर उक्त समस्त बकाया राशि का भुगतान करना अपेक्षित है।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के सम्बन्ध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी हमारी सभी पूर्व मांग सूचनाएँ (डिमांड नोटिस) वापस ले लिए गए हैं।

दिनांकः 01.08.2026 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः गाजियाबाद, उ0प्र0 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर)
1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत)

परिशिष्ट - IV - A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकाये की वसूली हेतु उसकी बिक्री 07.09.2026 को "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है।

07.09.2026 को आयोजित होने वाली ई-नीलामी (30 दिवसीय सूचना)

क्र. सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र.	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रुपये में)	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	रुपये में आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि
1.	पटपड़गंज दिल्ली	श्री मोहित गंगवार मोबाइलः 8171783511	जुनेजा ट्रेडिंग कंपनी प्रो. रजनी जुनेजा	दुकान नंबर 3097/03, प्रॉपर्टी का हिस्सा जिसका नंबर म्यूनिसिपल नंबर 1502 (पुराना) और 3097 (नया) है, ग्राउंड फ्लोर पर है। यह वार्ड नंबर VI, मोहल्ला दस्सन पीपल महादेव, हौज काजी दिल्ली -110006 में है। एरियाः 83 Sq Ft मालिकः रमेश रानी जुनेजा।	17.10.2025 - रु.11.32 लाख + अन्य प्रभार (लागू कटौतियाँ/पुनर्भुगतान)	12.06.2026 (भौतिक)	₹ 12,33,000.00 / ₹ 1,23,300.00 / ₹ 10,000.00
2.	सहानी गाजियाबाद	श्री अभय मिश्रा मोबाइलः 8588907378	मैसर्स आरएस मार्बल्स प्रो. महेश चंद शर्मा	प्लॉट का वह पूरा हिस्सा, बाउंड्री वॉल के साथ, 400 Sq Yard यानी 334.40 Sq Mtr का, मढ़ी रोड हूरी, पिलखुवा में म्यूनिसिपल लिमिट पिलखुवा के अंदर, खसरा नंबर 2570 मालिकः महेश चंद शर्मा	17.05.2021 - रु.10.31 लाख + अन्य प्रभार (लागू कटौतियाँ/पुनर्भुगतान)	31.01.2023 (भौतिक)	₹ 27,00,000.00 / ₹ 2,70,000.00 / ₹ 30,000.00
3.	आरडब्ल्यूए सेक्टर-15ए	श्री अमित यादव मोबाइलः 8077744291	हिमांशु कटारिया और राहुल कटारिया	आवासीय हाउस नंबर 154, न्यू नगर निगम नंबर-159 मोहल्ला सुखीमल, डासना गेट, तहसील और जिला- गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। एरियाः 75.46 Sq Mtr मालिकः हिमांशु कटारिया और राहुल कटारिया	07.08.2023 - रु.34.73 लाख + अन्य प्रभार (लागू कटौतियाँ/पुनर्भुगतान)	06.02.2025 (सांकेतिक)	₹ 43,00,000.00 / ₹ 4,30,000.00 / ₹ 50,000.00
4.	आरडब्ल्यूए सेक्टर-15ए	श्री अमित यादव मोबाइलः 8077744291	हिमांशु कटारिया और राहुल कटारिया	दो दुकानें नंबर 8 और 10, ग्राउंड फ्लोर पर, म्यूनिसिपल हाउस नंबर 544, मोहल्ला- कल्लूपुरा, पक्का तालाब, तहसील और जिला-गाजियाबाद उत्तर प्रदेश एरिया 29.72 Sq Mtr. मालिकः हिमांशु कटारिया और राहुल कटारिया	07.08.2023 - रु.34.73 लाख + अन्य प्रभार (लागू कटौतियाँ/पुनर्भुगतान)	06.02.2025 (सांकेतिक)	₹ 30,00,000.00 / ₹ 3,00,000.00 / ₹ 30,000.00

ई-नीलामी की तिथिः 07.09.2026, समयः 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समयः 07.09.2026 को 03:30 बजे अपराह्न तक। संविदाकार वेबसाइटः https://BAANKNET.com पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ ट्रांसफर/ (https://BAANKNET.com) से चालान उत्पन्न करने के माध्यम से BAANKNET ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा। नीलामी सामान्य लैंडिंग प्लेटफॉर्म BAANKNET.com पोर्टल (https://BAANKNET.com) के माध्यम से आयोजित की जायेगी। ई-नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर आयोजित की जायेगी। (सम्पत्ति के अन्य सभी शुल्क/बकाया क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे) विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइटः www.centralbank.bank.in अथवा नीलामी प्लेटफार्म (https://BAANKNET.com) में प्रावधानित लिंक देखें। BAANKNET हेल्पलाइन नं.: +91 8291220220, ई-मेलः E-mail: support.BAANKNET@psballiance.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांकः 01.08.2026 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः दिल्ली सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षे.का. दिल्ली (उत्तर), दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सजीदा खातून, पत्नी अब्दुल मन्नान, निवासी 313/82-ई, तीसरी मंजिल, गली नंबर 2, तुलसी नगर, इंद्रलोक, दिल्ली-110035, अपने पुत्र नाजिर एवं उसकी पत्नी इशरत को उनके द्वारा हमारे तथा हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं तथा उनसे अपना संबंध समाप्त करता हूं। आज के बाद भविष्य में यदि कोई व्यक्ति मेरे पुत्र नाजिर एवं [illegible]

संजीदा खातून

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री समीर सैफी ने सागर विहार, ग्राम और परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद (उक्त संपत्ति) में स्थित खसरा संख्या 118 के अंतर्गत आने वाले 62 वर्ग गज, यानी 51.83 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आवासीय भूखंड के मालिक होने का दावा किया है [illegible]

VIKAS SHOKEEN (Advocate)
Office: H-20, BASEMENT, BALI NAGAR, NEW DELHI-110015
Mob. No. 9670059555

सार्वजनिक सूचना

श्री तेजस महादेव गायकवाड़ ने हमारी अधिशासी आई.सी. आई.सी.आई. एच. एफ. सी., शाखा लक्ष्मी नगर, दिल्ली में संपत्ति संख्या 18 (पुराना नंबर 14 व 16), छत्ता मोहल्ला, तहसील व जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 75.97 वर्ग गज, को रहन रख कर ऋण लेने का आवेदन किया है। श्रीमती सुनीता देवी व श्री नरेश कुमार कौशिक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2007 के अनुसार उक्त संपत्ति के मालिक हैं, जो अब पंजीकृत विक्रय विलेख श्री तेजस महादेव गायकवाड़ के पक्ष में निष्पादित करेंगे। [illegible] सात दिवस में [illegible]

कार्तिक कुमार गोला, एडवोकेट,
वास्ते लीगल एसोसिएट,
0-3/ए-1, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95, मो. 7011604304

TENDER NOTICE

SATHWIK RURAL AND YOUTH INTEGRATED ASSOCIATION

Address: H.No. 1-10-1/21, Street No. 5, Ashok Nagar, Hyderabad, Telangana- 500020

Invites open tenders from reputed manufacturers, authorized dealers, and established **suppliers for the Supply, Delivery, and Installation of Heavy-Duty Open-Air Gym Equipment** (7 sets each of Surfboard, Sky Walker, Double Cross Trainer, Leg Press, Four-Wheel Shoulder Builder, Rower, Arm & Paddle Bike, etc., as per BOQ) in designated public parks across Mahabubabad, Telangana under community/CSR development projects.

- **Sector:** Sports & Fitness
- **Tender Value:** Approx. INR 50.00 Lakhs
- **Ref. No:** SRYIA/OT/2026/04
- **Closing Date:** 04-Aug-2026

Detailed tender documents and terms can be obtained from the contact below.

Contact: CH.Ramesh, President
Ph: 9000449222

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल [illegible]

हस्ता/-
सरजीत कुमार (अधिवक्ता)
Enrollment No. UP06319/21

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि [illegible] जीपीए [illegible]

VIKAS SHOKEEN (Advocate)
Office: H-20, BASEMENT, BALI NAGAR, NEW DELHI-110015
Mob. No. 9670059555
Resi. 011-25286699

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती विमला देवी, पत्नी श्री धर्मवीर, निवासी- ए-ब्लॉक नं. 3, क्षेत्रफल 540 वर्ग फीट, खसरा नं. 360 का भाग, स्थित गोकुल धाम, ग्राम सरफाबाद, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) अपनी उक्त संपत्ति को श्री रितेश कुमार सिंह, पुत्र श्री यशवंत सिंह को बेचने जा रही है। वर्तमान में उक्त संपत्ति KIFS हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक (Mortage) रखी जा रही है। [illegible]

दीपू शर्मा (एडवोकेट)
कार्यालय : 12A, 14S3 टावर [illegible], वैशाली यू.पी.-201010

सार्वजनिक सूचना

[illegible]
श्रीमती लक्ष्मी [illegible] नं. 12, किला नं. 31, गोविंद पार्क, ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 में स्थित संपत्ति की स्वामिनी हैं, विक्रय विलेख दिनांक 04.03.2025, दस्तावेज संख्या 2025/4/1/2195, सब-रजिस्ट्रार, ईस्ट गीता कॉलोनी, दिल्ली के माध्यम से।
(1) स्व. श्री पाल राम पुत्र श्री बख्तन दास एवं (2) स्व. श्रीमती वीना पत्नी स्व0 श्री सत्य प्रकाश, उक्त संपत्ति के मूल स्वामी(यों), के जीवित सदस्य प्रमाण पत्र पर्याप्त प्रयासों के बावजूद गुम/अप्राप्य हैं, जिसके संबंध में लॉस्ट रिपोर्ट संख्या 499657/2026 थाना जगतपुरी में दर्ज कराई गई है।
श्रीमती लक्ष्मी उक्त संपत्ति को (1) कु. मेघा कुमारी (पुत्री) एवं (2) श्रीमती पूनम देवी पत्नी श्री मिश्री दास के पक्ष में विक्रय करना चाहती हैं, जिसका वित्तपोषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
यदि किसी व्यक्ति, प्राधिकरण, बैंक अथवा संस्था को उक्त संपत्ति अथवा उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई दावा, अधिकार, हित ग्रहणाधिकार, बंधक, चार्ज, भार अथवा आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि ऐसा कोई दावा शेष नहीं है और सभी आपत्तियाँ, यदि कोई हो, त्याग दी गई मानी जाएंगी।

श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री मनोज की ओर से
कोजेंट लीगल एडवाइजर्स एलएलपी
प्लॉट नं. 300, संत नगर, दिल्ली - 110065
फोन: 011-45019287, 9289459097

सार्वजनिक सूचना

[illegible] सादर सूचित किया जाता है कि मैं [illegible] सेक्टर-[illegible], [illegible] गाजियाबाद उत्तर प्रदेश [illegible] तो कृपया इस प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर श्री पुखराज नीरज, अधिवक्ता (राज लॉ एसोसिएट्स), मोबाइल नं. 9999792385 पर संपर्क करें, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त संपत्ति सभी प्रकार के भारों/दावों से मुक्त है तथा उस पर किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं है।

पुखराज नीरज
अधिवक्ता एवं कानूनी सलाहकार
कार्यालय गोकुल-1, ए-602, कृष्णा गार्डन, गुलमोहर गार्डन फेज-2, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद (यू.पी.) - 201017, मो. नंबर 9999792385

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

PVR LAW ASSOCIATES
Office: H-20, Basement, Bali Nagar, New Delhi-110015
Email-legalreports54@gmail.comMob. No.9891286119

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना संख्या : SrDEE-TRD-BSB-2026-27-T13 दि. 31.07.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/टीआरडी, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु "खुली" ई-निविदा आमंत्रित करते है :

क्र. सं. : 01, **कार्य का नाम** : पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत फरिहा यार्ड से दूसरे गुड्स शेड (माल गोदाम) के निर्माण और 750 मीटर के रनिंग कोमन लूप (सिर्फ ट्रैक का काम) के प्रावधान के संबंध में 25 के.वी. विद्युतीकरण कार्य, **टेंडर रिफरेंश नं.** : SrDEE-TRD-BSB-2026-27-T13, **कार्य का अनुमानित लागत** : ₹ 2,06,16,833.19, **धरोहर राशि** : ₹ 4,12,300/-, **निविदा प्रपत्र का मूल्य** : शून्य, **निविदा बन्द होने की तिथि एवं समय** : 24.08.2026 14:45 बजे तक, **कार्य पूरा करने की अवधि** : 9 माह।

- खुली ई-निविदा दिनांक 24.08.2026 को 14:45 बजे तक जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण जानने हेतु एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/टीआरडी
पूजावि/विद्युत-123 पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी

ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें

उत्तर रेलवे

इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई-प्रणाली के अन्तर्गत मदों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली-110001 द्वारा इच्छुक फर्मों से निम्नलिखित मदों के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	निविदा सं.	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
01	19260632	इलास्टिक रिंग अब्लायान रिंग फॉर डब्ल्यू ए जी-9, डब्ल्यू ए पी-7 एंड डब्ल्यू ए पी-5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स	381 NOS	28.08.2026
02	19260629	सस्पेंशन ट्यूब कम्पलीट फॉर डब्ल्यू ए पी-7 डब्ल्यू ए जी-9	97 NOS	28.08.2026
03	19261697	पेंटो फूट इंसुलेटर	390 NOS	28.08.2026
04	19261766	मेटालिज्ड कार्बन स्ट्रीप	2009 NOS	28.08.2026
05	19264439	डबल रो सेल्फ अलिम्निंग स्फेरिकल रोलर बेयरिंग	247 NOS	29.08.2026

निविदा शर्तें- 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानि www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

टेंडर नोटिस सं.: 31/2026-2027 दिनांक 31.07.2026 2662/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ